Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) के नाम पर 1 लाख रुपये रिश्वत लेते दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जनवरी, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रभाकर शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) के नाम पर परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हाइवे सड़क निर्माण हेतु अवाप्ति का मुआवजा खाते में डलवाने की एवज में प्रभाकर शर्मा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा अपने आप को अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कार्मिक बताकर **2 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल प्रभाकर शर्मा पुत्र श्री सुधाकर शर्मा निवासी गुरूनानक कॉलोनी, बूंदी (प्राईवेट व्यक्ति) को अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) के नाम पर परिवादी से **1 लाख रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।